

राजस्थान सरकार  
स्वायत्त शासन विभाग, राज0 जयपुर

क्रमांक: प.8(ग)( )नियम/डीएलबी/2021/5925-6137 दिनांक: 31-8-2021

मुख्य नगर पालिका अधिकारी,  
नगर निगम/परिषद/पालिकाएं,  
समस्त राजस्थान

विषय:- पशुवध गृह/मांस मछली की दुकानें बंद रखने के क्रम में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि जैन धर्म के पर्युषण पर्व को दृष्टिगत रखते हुए निम्नांकित तिथियों को राज्य के सभी बूचडखाने एवं मांस मछली की दुकानें बंद रखी जावें।

| पर्व                      | दिनांक     | वार    |
|---------------------------|------------|--------|
| पर्युषण पर्व एवं संवत्सरी | 11.09.2021 | शनिवार |
| अनंत चतुर्दशी             | 19.09.2021 | रविवार |

(दीपक मन्दी)

निदेशक एवं विशिष्ट सचिव

क्रमांक: प.8(ग)( )नियम/डीएलबी/2021/6138-6183 दिनांक: 31-8-2021

प्रतिलिपि:- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, माननीय मुख्य मंत्री महोदय, राजस्थान।
2. निजी सचिव, माननीय मंत्री महोदय, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राज0 जयपुर।
4. जिला कलक्टर, समस्त राजस्थान।
5. समस्त उप निदेशक (क्षेत्रीय), स्थानीय निकाय विभाग, राजस्थान।
6. जनसंपर्क अधिकारी, निदेशालय को प्रकाशन करवाने हेतु।
7. प्रभारी, मोनिटरिंग सेल को विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
8. सुरक्षित पत्रावली।

(संजय माथुर)

वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी